



इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०

Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांकसं०:इ०रा०वि०वि/उ.कू.स.का./१/१०/2018

दिनांक : 18/05/2018

कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित प्रायोगिकी/मौखिकी को सुचितापूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के क्रम में इस आशय के निर्देश प्रदान किए गए थे कि:-

1. "प्रायोगिकी परीक्षा में यदि किसी परीक्षार्थी को 70 प्रतिशत से अधिक अंक दिये जाते हैं तो उसका औचित्य अंकित करते हुए ऐसे परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं पृथक से सील करते हुए विश्वविद्यालय भेजना अनिवार्य है।
2. मौखिकी के प्राप्तांकों का विवरण ऑन-लाइन करने के उपरान्त प्राप्तांकों की हार्डकापी एवं प्रयोगशाला में आन्तरिक व वाह्य परीक्षकों सहित छात्रों का संयुक्त फोटोग्राफ विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य होगा साथ ही प्रायोगिकी/मौखिकी के दौरान विडियोग्राफी की जाएगी तथा उक्त विडियोग्राफी की सी०डी० को प्राप्तांकों के अवार्ड लिस्ट (अंकपत्र) के साथ विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाएगी। "

माननीय कुलपति जी ने उपरिवर्णित संयुक्त फोटोग्राफ व विडियोग्राफी की सी०डी० तथा 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं तथा उनमें अंकित औचित्य के परीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय महाविद्यालयों ने मौखिकी/प्रायोगिकी से सम्बन्धित संयुक्त फोटोग्राफ व विडियोग्राफी की सी०डी० तथा 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया है। ऐसे महाविद्यालयों से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित संयुक्त फोटोग्राफ व विडियोग्राफी की सी०डी० तथा 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं तीन कार्य दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा सकें। भविष्य में उक्त सामग्री प्रायोगिकी/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में समय से परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की दशा में समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

डा० (साहबलाल मौर्य)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य/प्राचार्या सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. समस्त अधिकारीगण।
3. एजेंसी को इस आशय से प्रेषित, कि उक्त कार्यालय आदेश को सम्बन्धित महाविद्यालयों /परीक्षा केन्द्रों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपतिजी, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैय० सहायक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।

(राजबहादुर)

उपकुलसचिव (परीक्षा)

पता: सी०पी०आई० परिसर, महात्मा गाँधी रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उ०प्र०), फोन: 0532-2256207

Address : C.P.I. Campus, Mahatma Gandhi Road, Civil Lines, Allahabad (U.P.) Ph. 0532-2256207



इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उ०प्र०

Allahabad State University, Allahabad, U.P.

पत्रांकसं०:इ०रा०वि०वि/उ.कु.स.का./ /2018

दिनांक : /05/2018

कार्यालय-ज्ञाप

विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित प्रायोगिकी/मौखिकी को सुचितापूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के क्रम में इस आशय के निर्देश प्रदान किए गए थे कि:-

1. "प्रायोगिकी परीक्षा में यदि किसी परीक्षार्थी को 70 प्रतिशत से अधिक अंक दिये जाते हैं तो उसका औचित्य अंकित करते हुए ऐसे परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं पृथक से सील करते हुए विश्वविद्यालय भेजना अनिवार्य है।
2. मौखिकी के प्राप्तांकों का विवरण ऑन-लाइन करने के उपरान्त प्राप्तांकों की हार्डकापी एवं प्रयोगशाला में आन्तरिक व वाह्य परीक्षकों सहित छात्रों का संयुक्त फोटोग्राफ विश्वविद्यालय को भेजना अनिवार्य होगा साथ ही प्रायोगिकी/मौखिकी के दौरान विडियोग्राफी की जाएगी तथा उक्त विडियोग्राफी की सी०डी० को प्राप्तांकों के अवार्ड लिस्ट (अंकपत्र) के साथ विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाएगी। "

माननीय कुलपति जी ने उपरिवर्णित संयुक्त फोटोग्राफ व विडियोग्राफी की सी०डी० तथा 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं तथा उनमें अंकित औचित्य के परीक्षण कराये जाने का निर्णय लिया है।

विश्वविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में यह आया है कि कतिपय महाविद्यालयों ने मौखिकी/प्रायोगिकी से सम्बन्धित संयुक्त फोटोग्राफ व विडियोग्राफी की सी०डी० तथा 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं कराया है। ऐसे महाविद्यालयों से मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि संदर्भित संयुक्त फोटोग्राफ व विडियोग्राफी की सी०डी० तथा 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं तीन कार्य दिवस के अन्दर विश्वविद्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम घोषित किए जा सकें। भविष्य में उक्त सामग्री प्रायोगिकी/मौखिकी परीक्षा सम्पन्न होने के एक सप्ताह के अन्दर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में समय से परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने की दशा में समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।

COE
क० निगतीपवक
शाब्द अनुक्रम

डा० (साहबलाल मौर्य)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

सम्बन्धित की प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्राचार्य/प्रचार्या सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. समस्त अधिकारीगण।
3. एजेंसी को इस आशय से प्रेषित, कि उक्त कार्यालय आदेश को सम्बन्धित महाविद्यालयों /परीक्षा केंद्रों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. निजी सचिव कुलपतिजी, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
5. वैय० सहायक, कुलसचिव/वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक।

(राजबहादुर)

उपकुलसचिव (परीक्षा)